

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 24.11.2025

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 740/2025 धारा 191(2),191(3),110,115(2),352,351(3),109 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राममिलन साहनी पुत्र केदार निवासी नक्हा नं0-01 टोला केवटहिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण --

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 14.11.2025 को अभियुक्तों द्वारा आपसी वाद में आवेदिका के परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिये। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राममिलन साहनी पुत्र केदार निवासी नक्हा नं0-01 टोला केवटहिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 740/2025 धारा 191(2),191(3),110,115(2),352,351(3),109 बीएनएस थाना चिलुआताल गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष सूरज सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण द्विवेदी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 सचिन्द्र शाह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर